

641-1157 III
8/2/16

प्रेषक

7517
8/2/16

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े
वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा ।

सेवा में

1. महानिदेशक,
तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकुला ।
2. महानिदेशक,
औद्योगिक शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकुला ।
3. महानिदेशक,
उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकुला ।
4. महानिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकुला ।
5. निदेशक,
द्विकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, पंचकुला ।
कमांक टी0-3/2016/3675-79
दिनांक : 5.2.16

विषय: Post Matric Scheme को on-line परिपालित करना-सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं के आवेदन पत्र वैरीफाई करके भेजने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

जैसाकि आपको विदित है कि Post Matric Scholarship Scheme for SC and OBC students को वर्ष 2015-16 से on-line परिपालित किया जा रहा है । छात्रों द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत आवेदन पत्र upload करने की तिथि 31.01.2016 निर्धारित की गई थी। on-line अपलोड आवेदनपत्र शैक्षणिक संस्थाओं के पैनल पर जा रहें हैं उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वैरीफाई करके सम्बन्धित क्लस्टर को फारवर्ड किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा on-line आवेदन पत्र वैरीफाई करके सम्बन्धित क्लस्टर को 15.02.2016 तक फारवर्ड किया जाना है।

आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन सभी शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दें कि वे दिनांक 15.02.2016 तक सभी छात्रों के फार्म वैरीफाई करके सम्बन्धित क्लस्टर फारवर्ड करना सुनिश्चित करें और सम्बन्धित क्लस्टर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्कीमानुसार तुरन्त छात्रों की फीस उनके आधार लिंकड बैंक खातों के माध्यम से उन्हें reimburse करने बारे कार्यवाही करें ताकि छात्रों को समय पर स्कीम का लाभ मिल सके ।

(Signature)
अधीक्षक (शिक्षा),

कृते: निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े
वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।

निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चन्डीगढ़ ।

पू0क0 T-4/PMS/SC/2015-16/ 336

दिनांक: 9/2/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र www.haryanawelfarechemes.org के पोर्टल पर ऑन लाईन वैरीफाई करके 15.2.2016 तक सम्बन्धित क्लस्टर को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा अपने-2 संस्थान की यूजर आई0डी0 को प्रति दिन चैक करें और Cluster द्वारा रद्द किये गए छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को तुरन्त Re-Submit करें:-

1. सयुक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0ओ0टी0, रोहतक तथा सभी प्रधानाचार्य/ वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज / वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)।
2. सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने 2 जिले में स्थित सभी राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उक्त बारे सूचित करें।
3. सहायक निदेशक प्रशिक्षण-4।
4. नोडल अधिकारी बवैसाईट। मुख्यालय पर बवैसाईट पर डालने हेतु।
5. सहायक निदेशक (योजना)।
6. सैन्ट्रल डी0डी0ओ0/नोडल अधिकारी मुख्यालय पर ।

(Signature)
सहायक निदेशक (तकनीकी-III)

कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा ।